न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 172/2017

वादीगण

1. चम्पालाल पुत्र चन्द्राराम
2. राजेन्द्र पुत्र रामलाल
3. विनोद पुत्र रामलाल
4. धर्मेन्द्र पुत्र रामलाल
5. संतोष पुत्री रामलाल

जातियान–माली, निवासी–जैतारण
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामलाल पुत्र लादूराम
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र लादूराम
3. हेमाराम पुत्र लादूराम
4. भीकाराम पुत्र प्रभुराम
5. ढगलाराम पुत्र प्रभुराम
6. जयराम पुत्र प्रभुराम फौत के का.मु.
   6.1 रमेश सिरवी पुत्र जयराम
   6.2 मनीषा सिरवी पुत्री जयराम

   जातियान–सीरवी, निवासी–हुनावासखुर्द
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली
7. चम्पालाल पुत्र गोपीया उर्फ गोपाराम
8. रामेश्वरलाल पुत्र गोपीया उर्फ गोपाराम
9. रामपाल पुत्र गोपीया उर्फ गोपाराम
10. तेजाराम पुत्र गोपीया उर्फ गोपाराम
11. नौरतमल पुत्र गोपीया उर्फ गोपाराम
12. सीता पुत्री गोपीया उर्फ गोपाराम
13. होनीबाई पुत्री गोपीया उर्फ गोपाराम
14. मदन पुत्र हरदेव फौत के का.मु. :–
    14/1 कमलादेवी पुत्री मदनलाल
    14/2 भीदकी पुत्री मदनलाल,
    14/3 लाडीया पुत्री मदनलाल
    14/4 धापूदेवी पुत्री मदनलाल
    14/5 नाथू पुत्र मदनलाल
    14/6 कानाराम पुत्र मदनलाल
    14/7 भींयाराम पुत्र मदनलाल
    14/8 राजूराम पुत्र मदनलाल
    14/9 गैरबाई पत्नि मदरलाल

    जातियान–माली, निवासी–जैतारण
    तहसील–जैतारण, जिला–पाली
15. खींयाराम पुत्र सूराराम
16. खुमाराम पुत्र सूराराम
17. दूदाराम पुत्र सूराराम
18. मंगलाराम पुत्र सूराराम
19. पूनाराम पुत्र सूराराम

    जातियान–सिरवी, निवासी–भाकरवास
    तहसील–जैतारण, जिला–पाली
20. तहसीलदार जैतारण

    तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — **तारीख रजू: 28.08.2017**

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 29/06/2018**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मौजा-जैतारण, पटवार हल्का-जैतारण, तहसील-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 556 रकबा 121-10 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 554 रकबा 0-06 बीघा, खसरा नम्बर 555 रकबा 0-06 बीघा किस्म गै0मु0बेरा की भूमि आई हुई हैं। जिसमें वादीगण 1/2वें हिस्से में से 19/30वें हक हिस्से की भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 का 1/2वें हिस्से में से 11/30वां हक हिस्सा व अधिकार हैं एवं शेष 1/2 हिस्से की भूमि दिगर प्रतिवादीगण की हैं, नकल चालू जमाबन्दी इस आराजी की वाद पत्र के साथ पेश की हैं। इस आराजी को वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की मौके पर आपसी सहमति से तो अलग-अलग बंटी हुई हैं। लेकिन राजस्व रेकर्ड में भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच संयुक्त व शामलाती दर्ज हैं। इसी वजह से प्रतिवादीगण इस वादग्रस्त भूमि की माठ व नापचौंप को लेकर के आये दिन विवाद कर रहे हैं। वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाना चाह रहे हैं, ताकि नाप व माठों को लेकर कोई विवाद नहीं हो। लेकिन प्रतिवादीगण से इस वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा कराने का कहा लेकिन प्रतिवादीगण इससे सहमत नहीं हैं तथा वादीगण द्वारा बंटवाड़ा व तरमीम का बार-बार कहने के बावजूद प्रतिवादीगण नहीं मान रहे हैं तथा प्रतिवादीगण ने इस भूमि का बंटवाड़ा करवाने से ईन्कार कर दिया हैं। जिस पर वादीगण की ओर से यह वाद पत्र बाबत् बंटवाड़ा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की मौके पर आपसी सहमति से बंटी हुई हैं तथा वादीगण के हिस्से की भूमि के चारों तरफ माठ की हुई हैं। लेकिन अब प्रतिवादीगण की नियत खराब होने से वह वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने एवं कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने को आमादा हैं। यदि प्रतिवादीगण ऐसा दृष्कृत्य करने में सफल हो जाते हैं तो वादीगण अपनी हक हिस्से की भूमि से हमेशा-हमेशा के लिये वंचित होना पड़ेगा। जिससे वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। वादीगण प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कृत्यों का विरोध करेगें जिससे विवाद बढ़ेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद-पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 20 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये हैं। बिनायवाद दिनांक 20/06/2017 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के हक हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट ईन्कार करने व कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने पर बमुकाम-जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में उत्पन्न होता हैं, जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0 संख्या 01 से 20 बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहते हैं। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि राजस्व मौजा–जैतारण, पटवार हल्का–जैतारण, तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 556 रकबा 121–10 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 554 रकबा 0–06 बीघा, खसरा नम्बर 555 रकबा 0–06 बीघा किस्म गै0मु0बेरा की भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/1297 दिनांक 04/12/2017 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2018/1856 दिनांक 10/04/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प–जैतारण में पेश हुई। बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा–जैतारण, पटवार हल्का–जैतारण, तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 556 रकबा 121–10 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 554 रकबा 0–06 बीघा, खसरा नम्बर 555 रकबा 0–06 बीघा किस्म गै0मु0बेरा की भूमि की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	चम्पालाल पुत्र चन्द्राराम कौम माली सा.देह खातेदार	556/5	19-05-00	बा.दो.	5.96
2	राजेन्द्र पुत्र रामलाल कौम माली सा.देह खातेदार	556/4	5-15-00	बा.दो.	1.78
3	विनोद पुत्र रामलाल कौम माली सा. देह खातेदार	556/1	5-15-00	बा.दो.	1.78
4	धर्मेन्द्र पुत्र रामलाल कौम माली सा. देह खातेदार	556/3	5-15-00	बा.दो.	1.78
5	संतोष पुत्री रामलाल कौम माली सा. देह खातेदार	556/2	2-00-00	बा.दो.	0.62

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

6	भीकाराम, ढगलाराम, जयराम पिता प्रभुराम रामलाल, चन्द्रप्रकाश, ओमप्रकाश पिता लादुराम गोगीदेवी पत्नी लादुराम कौम सीरवी सा. हुनावास खुर्द 445/1660, चम्पालाल,रामेश्वरलाल, रामलाल, तेजाराम पिता गोपूराम 405/1660, मदन पुत्र हरदेव 405/1660 कौम माली सा.देह, खींया पुत्र सुरा 81/1660, खुमा पुत्र सुरा 81/1660, उदा पुत्र सुरा 81/1660, मंगला पुत्र सुरा 81/1660, पुना पुत्र सुरा 81/1660 कौम सीरवी सा. भाकरवास खातेदार रहन मदन पुत्र हरदेव का हि. एस.बी.बी.जे जैतारण	556	83-00-00	बा.दो.	25.75

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 29/06/2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प जैतारण सरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री मोहनलाल खट्नावलिया, आर0ए0एस0

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

वादीगण

1. चम्पालाल पुत्र चन्द्राराम
2. राजेन्द्र पुत्र रामलाल
3. विनोद पुत्र रामलाल
4. धर्मेन्द्र पुत्र रामलाल
5. संतोष पुत्री रामलाल

जातियान–माली, निवासी–जैतारण
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामलाल पुत्र लादूराम
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र लादूराम
3. हेमाराम पुत्र लादूराम
4. भीकाराम पुत्र प्रभुराम
5. ढ्गलाराम पुत्र प्रभुराम
6. जयराम पुत्र प्रभुराम फौत के का.मु.
   6.1 रमेश सिरवी पुत्र जयराम
   6.2 मनीषा सिरवी पुत्री जयराम

जातियान–सीरवी, निवासी–हुनावासखुर्द
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

7. चम्पालाल पुत्र गोपीया उर्फ गोपाराम
8. रामेश्वरलाल पुत्र गोपीया उर्फ गोपाराम
9. रामपाल पुत्र गोपीया उर्फ गोपाराम
10. तेजाराम पुत्र गोपीया उर्फ गोपाराम
11. नौरतमल पुत्र गोपीया उर्फ गोपाराम
12. सीता पुत्री गोपीया उर्फ गोपाराम
13. होनीबाई पुत्री गोपीया उर्फ गोपाराम
14. मदन पुत्र हरदेव फौत के का.मु. :–
   14/1 कमलादेवी पुत्री मदनलाल
   14/2 भीदकी पुत्री मदनलाल,
   14/3 लाडीया पुत्री मदनलाल
   14/4 धापूदेवी पुत्री मदनलाल
   14/5 नाथू पुत्र मदनलाल
   14/6 कानाराम पुत्र मदनलाल
   14/7 भींयाराम पुत्र मदनलाल
   14/8 राजूराम पुत्र मदनलाल
   14/9 गैरबाई पत्नि मदरलाल

   जातियान–माली, निवासी–जैतारण
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली

15. खींयाराम पुत्र सूराराम
16. खुमाराम पुत्र सूराराम
17. दूदाराम पुत्र सूराराम
18. मंगलाराम पुत्र सूराराम
19. पूनाराम पुत्र सूराराम

जातियान–सिरवी, निवासी–भाकरवास
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

20. तहसीलदार जैतारण
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

<u>राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई</u>
<u>निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु0न0 :रा0वा0 स0:172/2017

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजस्व मौजा–जैतारण, पटवार हल्का–जैतारण, तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 556

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

रकबा 121–10 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 554 रकबा 0–06 बीघा, खसरा नम्बर 555 रकबा 0–06 बीघा किस्म गै0मु0बेरा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	चम्पालाल पुत्र चन्द्राराम कौम माली सा.देह खातेदार	556/5	19-05-00	बा.दो.	5.96
2	राजेन्द्र पुत्र रामलाल कौम माली सा.देह खातेदार	556/4	5-15-00	बा.दो.	1.78
3	विनोद पुत्र रामलाल कौम माली सा. देह खातेदार	556/1	5-15-00	बा.दो.	1.78
4	धर्मेन्द्र पुत्र रामलाल कौम माली सा. देह खातेदार	556/3	5-15-00	बा.दो.	1.78
5	संतोष पुत्री रामलाल कौम माली सा. देह खातेदार	556/2	2-00-00	बा.दो.	0.62
6	भीकाराम, ढगलाराम, जयराम पिता प्रभुराम रामलाल, चन्द्रप्रकाश, ओमप्रकाश पिता लादुराम गोगीदेवी पत्नी लादुराम कौम सीरवी सा. हुनावास खुर्द 445/1660, चम्पालाल,रामेश्वरलाल, रामलाल, तेजाराम पिता गोपूराम 405/1660, मदन पुत्र हरदेव 405/1660 कौम माली सा.देह, खींया पुत्र सुरा 81/1660, खुमा पुत्र सुरा 81/1660, उदा पुत्र सुरा 81/1660, मंगला पुत्र सुरा 81/1660, पुना पुत्र सुरा 81/1660 कौम सीरवी सा. भाकरवास खातेदार रहन मदन पुत्र हरदेव का हि. एस.बी.बी.जे जैतारण	556	83-00-00	बा.दो.	25.75

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/06/2018 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	–	महनताना वकील	
महनताना वकील	–	खर्चा गवाहान	/
खर्चा गवाहान	04-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुत्फरिक	
मिजानः–	07-00	मिजानः–	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।